


{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

बुलेश सैनी पुत्र श्री गंगाराम सैनी वगैरह जाति माली निवासी रामराय की ढाणी, बलवन्तपुरा चैलासी तहसील नवलगढ़	-बनाम-	गंगाराम पुत्र बालू वगैरह जाति माली निवासी रामराय की ढाणी, बलवन्तपुरा चैलासी तहसील नवलगढ़
किस्म मुकदमा -प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	मु.नं. 97/2023	
18/08/2023	<p>यह प्रार्थना-पत्र वादी कि ओर से जरिये वकील श्री सम्पत सिंह शेखावत एडवोकेट ने पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदक नम्बर 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जायें कि ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चैलासी की सरहद में खाता संख्या 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 682 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 1.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 742 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 745 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 964/748 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 3.2000 हैक्टर भूमि का अपने अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड होने को नाजायज व गलत फायदा उठाकर विवादित भूमि का किसी भी तरह का हस्तान्तरण प्रलेख किसी भी दीगर व्यक्ति के पक्ष में नहीं करे, भूमि को रहन नहीं रखे तथा आवेदकगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे व भूमि पर से हरे पेड आदि काटकर भूमि को वेस्ट व डेमेज नहीं करे, उक्त कृत्य अनावेदक संख्या 1 ना ता स्वयं करे, ना ही अपने नौकर चाकर, रिश्तेदार आदि से करवाये व अनावेदक संख्या 19 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दावे के दौरान या पूर्व में बने किसी भी फर्जी या गलत हस्तान्तरण प्रलेख के आधार पर किसी के भी दीगर व्यक्ति के नाम नामान्तरण तर्दीक नहीं करे, अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्जशुदा 1/8 हिस्से की भूमि का मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें।</p> <p>आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण नं. 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चैलासी की सरहद में खाता संख्या 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 682 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 1.1500 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 742 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 745 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नम्बर 964/748 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 3.2000 हैक्टर भूमि का अपने अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड होने को नाजायज व गलत फायदा उठाकर विवादित भूमि का किसी भी तरह का हस्तान्तरण प्रलेख किसी भी दीगर व्यक्ति के पक्ष में नहीं करे, भूमि को रहन नहीं रखे तथा आवेदकगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे व भूमि पर से हरे पेड आदि काटकर भूमि को वेस्ट व डेमेज नहीं करे, उक्त कृत्य अनावेदक संख्या 1 ना ता स्वयं करे, ना ही अपने नौकर चाकर, रिश्तेदार आदि से करवाये व अनावेदक संख्या 19 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दावे के दौरान या पूर्व में बने किसी भी फर्जी या गलत हस्तान्तरण प्रलेख के आधार पर किसी के भी दीगर व्यक्ति के नाम नामान्तरण तर्दीक नहीं करे, अनावेदक संख्या 1 के नाम से दर्जशुदा 1/8 हिस्से की भूमि का मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल-डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 18.09.2023 को पेश हो।</p>	
 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़		

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा इतिहास P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 16/10/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय कोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/11/23 को पेश हो।

536411/17

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय कोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

कील अजय शर्मा
रज्य 01 R10 CFC का
प्र प्रपत्रेण 01/11/24 को
1998 370 602

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा इतिहास P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा इतिहास P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय कोरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 16/11/24 को पेश हो।

16/11/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा इतिहास P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/11/24 को पेश हो।

17/11/24

कील अजय शर्मा/कमरफे. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, की छल 97 में एक पत्रिका कर्मवर्षि देखी है। कतः इस प्रपत्र में भी एक पत्रिका कर्मवर्षि की जाती है उसे की वल में जारी कर पत्रावली वाले पत्र को 1998 370 (आत 01 R10 CFC कमरफे) दिनांक 6/11/2024 को पेश हो।

उपस्थान अधिकारी
नवलगढ़ (सु. 31)

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

6/12/24

पत्रावली भेजा हुई। वकील पत्रकारान
व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 26/12/24 को भेजा है।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

24/12/24

पत्रावली भेजा हुई। अधिभाषक संघ नवलगढ़
द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान
P.O मा अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आचन्द्रा दिनांक 10/1/25 को भेजा है।

10/1/25

पत्रावली भेजा हुई। वकील पत्रकारान
व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 26/1/25 को भेजा है।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

26/3/25

पत्रावली भेजा हुई। वकील पत्रकारान
नवलगढ़ उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/बदलाव/अन्य
कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आचन्द्रा
दिनांक 30/4/25 को भेजा है।

30/4/25

पत्रावली भेजा हुई। वकील पत्रकारान
व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 15/7/25 को भेजा है।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

21/9/25

वकील कावेडक ठाणु कावेडक इण्डिया
कापना डूल गड किशु का लिप्रा है सिफा
इत प्र पत्र के चलाये जाने का
कोई कैंपिल नहीं है इत प्र पत्र मे
पाति कछेद्य 18/8/2023 तबाल गमड
के केकर फास्ट डिप्य जात है मर
प्र पत्र खाफि डिप्य जात है पत्रावली
फिल कुमा ये गमड से कपु है
का तबनील जासा दाडिल (कमर) को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (इ.सु.)